



2026:AHC:43294

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट सी संख्या - 6548/2026

बलराम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रामेश्वर गौड़, रानूलाल यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य अधिशासी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की है:-

1. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह आदेश या निर्देश परमादेश के स्वरूप में जारी करने के लिए कि वे उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2007 का अनुपालन रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. कुछ तर्क करने के पश्चात, याचिकाकर्ता के विधिक सलाहकार द्वारा वर्तमान याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. की गई प्रार्थना, स्वीकार की जाती है।
4. तदनुसार, वर्तमान याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जाता है।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को समान कारण के लिए नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता/अनुमति नहीं दी जाती है।

25 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”